

14/02/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली
पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय के सुसंगत
प्रावधानों का डावलोकन कर महसूस पर मतलब किया
गया। बाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राज-कायदा
अधी; 1955 साबित होने पर वादीगण के पक्ष में
डिक्री किया जाकर विस्तृत निर्णय पृष्ठा से टंकित
करवाया जाकर उसे सुनने न्यायालय में सुनाया
गया। तहसीलदार, फालरा को इस हेतु तहरीर जारी
है। पत्रावली दर्ज नंबर से कम होकर फैसला
शुमार है दारिज्ज दफतर है।



उपर्युक्त अधिकारी
साँभर ले